उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 9 अंक 10 16-31 मई 2026 ₹ 20/-

पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों के खिलाफ अभियान

- असम विधानसभा द्वारा यूसीसी विधेयक पारित
- रूस और अफगानिस्तान के बीच रक्षा समझौता
- इजरायली सेना द्वारा ऐतिहासिक इब्राहिमी मस्जिद बंद
- पश्चिम बंगाल में धर्म आधारित आरक्षण खत्म

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाष: 011–79687620

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशक: मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों के खिलाफ अभियान 04
पश्चिम बंगाल में धर्म आधारित आरक्षण खत्म 08
पश्चिम बंगाल के मदरसों में वंदे मातरम का गायन अनिवार्य 11
असम विधानसभा द्वारा यूसीसी विधेयक पारित 14
बकरीद पर गोवंश की कुर्बानी न देने पर जोर 16
पाकिस्तान से नियंत्रित आतंकवादियों का गिरोह गिरफ्तार 19

विश्व

रूस और अफगानिस्तान के बीच रक्षा समझौता 21
बीएलए के हमले में 25 लोगों की मौत 22
पाकिस्तान का इजरायल के साथ राजनयिक संबंध बनाने से इनकार 23
बांग्लादेश की विदेश नीति का कट्टर इस्लामी रुख 24
अमेरिका की मस्जिद पर हमला 25

पश्चिम एशिया

इजरायली सेना द्वारा ऐतिहासिक इब्राहिमी मस्जिद बंद 26
इजरायल का लेबनानी क्षेत्रों को खाली करने से इनकार 27
गाजा का 70 फीसदी इलाका इजरायली कब्जे में 29
यूएई द्वारा पाकिस्तानी शियाओं का निष्कासन 30
मक्का से हाजियों की वापसी का सिलसिला शुरू 31

सारांश

पश्चिम बंगाल में सत्ता में आते ही भाजपा सरकार ने अवैध घुसपैठियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। इसके तहत राज्य के प्रत्येक जिले में 'होल्डिंग सेंटर' खोले गए हैं, जहां संदिग्ध घुसपैठियों को जांच पूरी होने तक 30 दिनों के लिए रखा जाएगा। इसके बाद उन्हें सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को सौंप दिया जाएगा, जो उन्हें उनके मूल देश वापस भेजने की कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि देश के विभिन्न हिस्सों और विशेषकर पूर्वोत्तर भारत में विदेशी घुसपैठ के कारण जनसंख्या का संतुलन तेजी से बिगड़ रहा है और देश पर अनावश्यक आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। इस आरोप में काफी दम है कि सत्ता पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखने के लिए कांग्रेसी और अन्य विपक्षी नेताओं द्वारा पड़ोसी देशों से मुसलमानों की घुसपैठ को जानबूझकर प्रोत्साहन दिया गया। खास बात यह है कि आज देश का कोई भी कोना ऐसा नहीं है, जिसमें इन विदेशी घुसपैठियों ने अपने पैर न पसारे हों।

असम सरकार ने अपने चुनावी वादे को पूरा करते हुए राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू करने का विधेयक विधानसभा से पारित करवा लिया है। इस नए कानून के लागू होने से राज्य में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप के मामलों के लिए सभी नागरिकों पर एक समान कानून लागू होगा। हालांकि, राज्य के आदिवासियों को उनके पारंपरिक रीति-रिवाजों और सांस्कृतिक प्रथाओं के संरक्षण हेतु इस कानून के दायरे से पूरी तरह से बाहर रखा गया है। इस कानून के तहत बहुविवाह पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। गौरतलब है कि उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम देश का तीसरा राज्य बन गया है, जिसने यूसीसी को लागू करने का फैसला किया है।

विश्व की राजनीति में एक नया मोड़ आया है। रूस और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के बीच एक बड़ा रक्षा समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत रूस अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को वायु रक्षा प्रणाली और अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों की आपूर्ति करेगा ताकि अफगान सरकार पाकिस्तानी वायुसेना के हवाई हमलों का मुंहतोड़ जवाब दे सके। रूसी सेना अफगान सेना को आवश्यक तकनीकी प्रशिक्षण भी देगी। अफगानिस्तान के पास अभी तक अपनी कोई मजबूत वायुसेना और लड़ाकू विमान नहीं थे, जिसका लाभ उठाकर पाकिस्तान अफगान सैन्य ठिकानों और शहरी क्षेत्रों पर हवाई हमले करता रहा है।

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और पाकिस्तान के संबंधों में दिन-प्रतिदिन कटुता आ रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि यूएई को इस बात का संदेह है कि उस पर हुए ईरानी हमलों के लिए पाकिस्तान की भूमि का इस्तेमाल किया गया है। इससे नाराज होकर यूएई की सरकार ने हजारों पाकिस्तानी नागरिकों को अपने देश से जबरन निष्कासित कर दिया है, जिनमें बड़ी संख्या शिया मुसलमानों की है। इन पाकिस्तानी नागरिकों पर आरोप है कि वे यूएई में ईरान के लिए जासूसी में संलिप्त थे और इन्हीं के द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर ईरान को अमेरिका और यूएई के ठिकानों पर हमला करने की सटीक जानकारी मिली थी।

अमेरिकी दबाव के बावजूद इजरायल ने लेबनानी क्षेत्र से अपने सैनिकों को वापस बुलाने से साफ इनकार कर दिया है। इसके साथ ही इजरायल ने लेबनान के और अधिक क्षेत्रों पर कब्जा करने हेतु अपना सैन्य अभियान तेज कर दिया है। हाल ही में इजरायल सरकार ने वेस्ट बैंक में स्थित ऐतिहासिक इब्राहिमी मस्जिद को अपने कब्जे में लेकर उसे पूरी तरह सील कर दिया है और उसमें मुसलमानों के प्रवेश व नमाज अदा करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों के खिलाफ अभियान

मुंबई उर्दू न्यूज (25 मई) के अनुसार पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने सत्ता में आते ही अवैध घुसपैठियों के खिलाफ एक व्यापक अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं की पहचान कर उन्हें भारत से निर्वासित किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में विशेष 'होल्डिंग सेंटर' स्थापित करने का फैसला किया है। इन केंद्रों में संदिग्ध विदेशी नागरिकों को उनकी नागरिकता की जांच होने तक अधिकतम 30 दिनों के लिए हिरासत में रखा जा सकेगा। इस अवधि के दौरान राज्य सरकार के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी इन संदिग्धों की नागरिकता संबंधी दस्तावेजों की बारिकी से जांच-पड़ताल करेंगे। अगर संबंधित जिले के अधिकारियों द्वारा उनके अवैध विदेशी घुसपैठिए होने की पुष्टि हो जाती है तो उन्हें तुरंत सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के हवाले कर दिया जाएगा, जो उन्हें कानूनी प्रक्रिया के तहत उनके मूल देश वापस भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

राज्य सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों के तहत घुसपैठियों की पहचान और निर्वासन की नई नीति को कार्यान्वित करना शुरू कर दिया है। इसके अंतर्गत राज्य की खुफिया और गुप्तचर एजेंसियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि वे संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखें। इस संबंध में जो भी इनपुट या खुफिया जानकारी प्राप्त होती है, उसे तुरंत राज्य के सभी जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों और अन्य संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साझा किया जाएगा। सरकारी सूत्रों के अनुसार इन विशेष होल्डिंग सेंटरों में न केवल नए संदिग्ध लोगों को रखा जाएगा, बल्कि विदेशी मूल के उन कैदियों को भी स्थानांतरित किया जाएगा जो अपनी जेल की सजा पूरी कर चुके हैं और भारत से अपने मूल देश निर्वासित किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस अभियान पर जोर देते हुए कहा कि "हमने विधानसभा चुनाव से पहले जनता से यह वादा किया था कि पश्चिम बंगाल की भूमि पर एक भी अवैध घुसपैठिए को रहने नहीं दिया जाएगा। हमारी सरकार पूरी दृढ़ता के साथ अपने इसी संकल्प और वादे को निभा रही है।"

उर्दू टाइम्स (30 मई) के अनुसार पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने राज्य में अब तक 11

से बाहर भाग रहे हैं। ताजा जानकारी के अनुसार मालदा के इंग्लिश बाजार क्षेत्र के चंदन पार्क में भी एक नया होल्डिंग सेंटर शुरू किया गया है, जिसमें वर्तमान में नौ संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को रखा गया है। इनमें तीन महिलाएं और छह बच्चे शामिल हैं। इन सभी संदिग्ध व्यक्तियों को गाजोल थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया था। सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और पुलिस के साथ-साथ अन्य खुफिया एजेंसियां भी इनकी कड़ी निगरानी कर रही हैं।

होल्डिंग सेंटर स्थापित कर दिए हैं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक वर्तमान में इन केंद्रों में कुल 335 संदिग्ध लोगों को रखा गया है। अधिकारियों का कहना है कि इन केंद्रों की स्थापना राज्य सरकार की नई घुसपैठ विरोधी नीति 'डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट' के तहत की गई है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर चौबीस परगना जिले के बशीरहाट क्षेत्र से सबसे अधिक संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। खुफिया सूत्रों का कहना है कि पश्चिम बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में अभी हजारों बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए अवैध रूप से रह रहे हैं। जिन स्थानों पर ये होल्डिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं, उनमें बरुईपुर, सुंदरबन, बशीरहाट, बोनगांव, बारासत, मुर्शिदाबाद, जंगीपुर, कृष्णानगर, मालदा, कूचबिहार और दक्षिण दिनाजपुर शामिल हैं।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इन केंद्रों में जो संदिग्ध व्यक्ति हिरासत में रखे गए हैं, उनमें 148 पुरुष, 99 महिलाएं और 88 बच्चे शामिल हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार सरकार के इस कड़े अभियान के कारण भयभीत होकर अवैध विदेशी घुसपैठिए बांग्लादेश, नेपाल और भारत के अन्य राज्यों में छिपने के लिए भारी संख्या में भाग रहे हैं। पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी यह दावा किया था कि घुसपैठियों के खिलाफ सरकार की इस सख्त नीति के कारण प्रतिदिन औसतन 8 से 10 हजार घुसपैठिए पश्चिम बंगाल

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (23 मई) ने दावा किया है कि देश में संदिग्ध नागरिकता का मुद्दा एक अत्यंत गंभीर समस्या बन गया है। पश्चिम बंगाल सहित देश के अन्य राज्यों में चलाए जा रहे 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (एसआईआर) अभियान के कारण विशेषकर मुस्लिम समुदाय के भीतर यह आशंका व भय पनपने लगा है कि उनकी नागरिकता को संदिग्ध करार देकर उन्हें उनके घरों से बेदखल कर दिया जाएगा और विदेशी घोषित कर दिया जाएगा। इससे भी अधिक खतरनाक पहलू यह है कि एसआईआर के तहत जिन लोगों की नागरिकता को संदिग्ध श्रेणी में डाल दिया जाएगा, उन्हें सभी सरकारी सुविधाओं और लाभों से वंचित कर दिया जाएगा। इसके बाद उनके पहचान संबंधी दस्तावेजों की पुनर्जांच की जाएगी और अंततः उन्हें विदेशी घोषित किया जा सकता है। सरकार की इस नीति के कारण व्यावहारिक रूप से एसआईआर, एनआरसी और सीएए के बीच का अंतर समाप्त हो गया है, जिससे एक बड़े वर्ग पर देश से निष्कासित किए जाने की तलवार लटक रही है।

समाचारपत्र का कहना है कि एक विशेष राजनीतिक दल द्वारा पिछले कुछ सालों से देश में नागरिकता और राष्ट्रीय पहचान को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। असम में एनआरसी की आड़ में हजारों ऐसे परिवारों को विदेशी करार दे दिया गया, जिनके पूर्वज सदियों से इसी देश में रह रहे हैं। आज हजारों लोग सभी वैध दस्तावेज होने के बावजूद विदेशी न्यायाधिकरण के चक्कर काटने को मजबूर हैं। सैकड़ों लोग नाम की वर्तनी में त्रुटि या जन्मतिथि में मामूली अंतर के कारण कानूनी भंवर में फंसकर अपनी नागरिकता सिद्ध करने के लिए दर-दर भटक रहे हैं। अब वैसा ही माहौल बिहार और पश्चिम बंगाल में भी आकार लेने लगा है। पश्चिम बंगाल में 27 लाख से अधिक मतदाताओं के मामले विभिन्न न्यायाधिकरणों और समीक्षा प्रक्रियाओं के अधीन होने की खबरों को सामान्य नहीं माना जा सकता। इतनी बड़ी संख्या में देश के मूल निवासियों की नागरिकता को संदिग्ध ठहराना केवल एक प्रशासनिक या तकनीकी त्रुटि नहीं कहा जा सकता। किसी नागरिक की देशभक्ति, कानूनी हैसियत और नागरिकता को इस तरह संदिग्ध बनाना एक खतरनाक रुझान है, जो भारतीय संविधान की मूल भावना के खिलाफ है।

समाचारपत्र ने पूछा है कि अगर प्रशासन की कार्यप्रणाली या डिजिटल सॉफ्टवेयर में तकनीकी कमियां हैं तो उसका खामियाजा इस देश का आम और गरीब नागरिक क्यों भुगते? भारत जैसे विशाल देश में आज भी करोड़ों लोग इन तकनीकी और डिजिटल प्रणालियों से पूरी तरह अनभिज्ञ हैं। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के पास अपनी नागरिकता को सिद्ध करने वाले पर्याप्त और सुव्यवस्थित दस्तावेज मौजूद नहीं है। हकीकत यह है कि भारत के गरीब, वंचित और पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी कागजात बनवाना हमेशा से एक बड़ा सिरदर्द रहा है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जिनके नाम अलग-अलग दस्तावेजों में अलग-अलग दर्ज हैं। कहीं पिता के नाम में अंतर है तो कहीं जन्मतिथि मेल नहीं खाती तो कुछ मामलों में वर्तनी अलग है। ऐसी स्थिति में अगर लोगों की नागरिकता को संदिग्ध मानने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाएगा तो इससे वही वर्ग सबसे अधिक प्रभावित होगा जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पहले से ही कमजोर है।

उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को समानता और कानूनी सुरक्षा की गारंटी देता है। नागरिकता का सवाल सिर्फ एक

प्रशासनिक या कागजी मामला नहीं है, बल्कि यह नागरिकों का बुनियादी संवैधानिक अधिकार है। अगर प्रशासन अपनी लापरवाही, तकनीकी त्रुटियों या राजनीतिक दृष्टिकोण के आधार पर लोगों की वैधता को संदिग्ध बनाता है तो इससे अंततः हमारे लोकतंत्र को अपूर्णीय क्षति पहुंचती है। इससे समाज में भय और अनिश्चितता का एक ऐसा वातावरण निर्मित होता है, जिससे आम नागरिक अपने भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस करने लगता है। जब एक आम आदमी के मन में यह डर बैठ जाए कि किसी दिन तकनीकी त्रुटि के कारण उसे विदेशी घोषित कर दिया जाएगा तो देश के लोकतांत्रिक ढांचे और न्याय प्रणाली से उसका भरोसा उठने लगता है।

समाचारपत्र का कहना है कि इसका एक चिंतजानक पहलू यह भी है कि हमारे देश की जनता का एक बड़ा हिस्सा दस्तावेजों और अपने कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है। हमारे सामाजिक ढांचे में कागजात को सहेज कर रखने या सरकारी नोटिस को गंभीरता से लेने की प्रवृत्ति कम रही है। यही लापरवाही बाद में गंभीर संकट का कारण बनती है। इस विषय पर सरकार की मंशा पर सवाल उठाना जितना जरूरी है, उतना ही आवश्यक नागरिकों को अपनी जिम्मेदारियों का अहसास कराना भी है। यह समस्या किसी एक विशेष वर्ग या धर्म तक सीमित नहीं है। आज अगर एक विशेष वर्ग इस संकट के घेरे में है तो कल कोई अन्य वर्ग भी इसकी चपेट में आ सकता है। यह अत्यंत आवश्यक है कि देश के प्रत्येक नागरिक की नागरिकता की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। आम जनता को आज भी यह स्पष्ट रूप से मालूम नहीं है कि किन-किन दस्तावेजों की प्रशासनिक अहमियत है और उनके न होने से क्या कानूनी खतरे हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में सभी धार्मिक, सामाजिक और स्वयंसेवी संस्थाओं को चाहिए कि वे स्थानीय स्तर पर 'दस्तावेज सहायता केंद्र' स्थापित करें। इन केंद्रों के माध्यम से आवश्यक कागजातों की जांच की जानी चाहिए, नए दस्तावेज बनवाने में मदद की जानी चाहिए और वर्तनी संबंधी त्रुटियों को सुधारने के लिए आम लोगों को कानूनी सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

मुंबई उर्दू न्यूज (30 मई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि देश में अवैध घुसपैठ, फर्जी नागरिकता और सीमा पार से होने वाले आतंकवाद की समस्या राष्ट्रीय चर्चा का मुख्य केंद्र बन गई है। हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से 2600 संदिग्ध लोगों को जिस तरह से जबरन बांग्लादेश भेजा गया है, वह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अब सरकार का रुख इस मामले में अत्यंत कड़ा हो गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा है कि देश में विदेशी घुसपैठियों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसे तत्वों को भारत में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि, आम तौर पर यह माना जाता है कि यह एक प्रशासनिक और कानूनी समस्या है, लेकिन इसका सीधा संबंध देश की आंतरिक सुरक्षा, आर्थिक संसाधनों, सामाजिक संतुलन एवं राजनीतिक माहौल से भी है। भारत जैसे विशाल देश की सीमाओं की कड़ी निगरानी करना हमेशा से एक जटिल चुनौती रही है। विशेष रूप से पूर्वी सीमाओं से होने वाली अवैध घुसपैठ की चर्चा कई दशकों से चल रही है।

समाचारपत्र ने स्वीकार किया है कि गरीबी, बेरोजगारी और राजनीतिक अस्थिरता के कारण पड़ोसी देश बांग्लादेश से भारी संख्या में लोग भारत आए हैं। समाचारपत्र ने कहा है कि अगर हमारे देश में वास्तव में अवैध विदेशी घुसपैठिए मौजूद हैं तो उनके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ ही यह भी अत्यंत आवश्यक है कि इस राष्ट्रीय समस्या को राजनीतिक और धार्मिक रंग न दिया जाए। ऐसे संवेदनशील मामलों में यह जरूरी है कि समस्या के स्थायी समाधान के लिए एक गंभीर संतुलित और संवैधानिक रणनीति अपनाई जाए। इसके साथ ही भारत को अपनी सीमाओं पर सुरक्षा तंत्र को इतना मजबूत और अभेद्य बनाना होगा ताकि भविष्य में कोई भी नागरिक देश की सीमा लांघकर अवैध घुसपैठ न कर सके।

पश्चिम बंगाल में धर्म आधारित आरक्षण खत्म

मुंबई उर्दू न्यूज (21 मई) के अनुसार पश्चिम बंगाल की नवनिर्वाचित भाजपा सरकार ने राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण से संबंधी ओबीसी की वर्तमान सूची को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने सात प्रतिशत आरक्षण के लिए केवल 66 जातियों को ही मान्यता प्रदान की है। नई सरकार के इस फैसले के तहत टीएमसी सरकार के दौरान जोड़े गए मुस्लिम समुदायों का पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आने वाला आरक्षण रद्द हो गया है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया है कि ओबीसी सूची की नए सिरे से समीक्षा की जाएगी और टीएमसी के शासनकाल में जारी किए गए सभी प्रमाण पत्रों का पुनरीक्षण होगा। राज्य की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने घोषणा की कि इस पूरे मामले पर नए सिरे से विचार किया जाएगा और राज्य सरकार अब उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार ही किसी जाति या समूह को पिछड़े वर्ग में शामिल करने पर कोई अंतिम निर्णय लेगी। राज्यपाल के निर्देश पर इस संबंध में पुरानी अधिसूचना को भी रद्द कर दिया गया है।

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था 2010 से ही विवादों में रही है। टीएमसी के शासनकाल के

दौरान राज्य की 77 नई जातियों को ओबीसी सूची में शामिल किया गया था, जबकि वामपंथी शासनकाल के दौरान इस सूची में जातियों की संख्या केवल 42 थी। उस समय विपक्ष ने आरोप लगाया था कि ममता सरकार ने राजनीतिक तुष्टिकरण और वोटों के कारण कई मुस्लिम जातियों को नियमों को ताक पर रखकर इस सूची में शामिल किया था। 2023 में ममता सरकार ने एक नया ओबीसी आरक्षण कानून बनाया, जिसके तहत 77 नई जातियों को ओबीसी सूची में शामिल किया गया। इसके परिणामस्वरूप राज्य में ओबीसी घोषित की गई जातियों की कुल संख्या बढ़कर 179 हो गई।

इस नए कानून को कलकत्ता उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि धर्म के आधार पर दिए गए आरक्षण को असंवैधानिक मानकर रद्द किया जाए। इसके बाद 22 मई 2024 को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य की ओबीसी सूची में शामिल की गई 113 जातियों का आरक्षण रद्द कर दिया, जबकि 66 जातियों के आरक्षण को बरकरार रखा। अदालत ने पुष्टि की थी कि इस सूची में कई जातियों को केवल उनके धर्म के आधार पर शामिल किया गया था, जो अवैध है। अदालत के इस फैसले के कारण 2010 के बाद जारी किए गए लगभग पांच लाख ओबीसी प्रमाण पत्र अवैध घोषित हो गए। उच्च न्यायालय के इस फैसले को तत्कालीन टीएमसी सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। मार्च 2025 में ममता सरकार ने अदालत को सूचित किया कि पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग एक नया सर्वेक्षण करेगा और एक संशोधित ओबीसी सूची तैयार की जाएगी।

इसी सिलसिले में जून 2025 में ममता सरकार ने 76 नई जातियों की एक और सूची जारी की, जिससे राज्य में ओबीसी जातियों की संख्या बढ़कर 140 हो गई। तब विपक्षी दलों ने आरोप लगाया था कि राज्य सरकार ने चोर दरवाजे से सभी पुरानी जातियों को इस नई सूची में फिर से शामिल कर लिया है। इस नई सूची को भी अदालत में चुनौती दी गई। पिछले साल जुलाई में सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की पीठ ने इस नई सूची पर अंतरिम रोक लगा दी थी। वर्तमान में यह पूरा मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

हिंदुस्तान (22 मई) ने अपने संपादकीय में आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल की नवनिर्वाचित भाजपा सरकार की नीतियां मुस्लिम विरोध पर आधारित हैं। राज्य के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी लगातार ऐसे फैसले ले रहे हैं, जिनका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय को परेशान करना है। उनके ये निर्णय दर्शाते हैं कि वे राज्य में मुसलमानों का जीना दूभर करना चाहते हैं, उन्हें नागरिक अधिकारों से वंचित करना चाहते हैं और ऐसा प्रयास कर रहे हैं जिससे मुसलमान अपने धर्म का पालन न कर सकें। यही कारण है कि उन्होंने ओबीसी कोटे से मुसलमानों को वंचित कर दिया है और गोहत्या पर प्रतिबंध लगा दिया है। भाजपा की नई सरकार ने पश्चिम बंगाल को सांप्रदायिक आग में झोंक दिया है, जहां अभी तक सरकार द्वारा सेक्युलर नीतियों का अनुसरण किया जाता था। इस समय देश एक ऐसे दौर से गुजर रहा है,

जिसमें धार्मिक विभाजन दिन-प्रतिदिन गंभीर रूप लेता जा रहा है।

समाचारपत्र ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में सरकारी कर्मचारियों की आवाज बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। शुभेंदु सरकार ने एक नोटिस जारी कर सरकारी कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि वे अब सरकार के कामकाज और उसके फैसलों की आलोचना नहीं कर सकते। यह रुझान बेहद खतरनाक है और लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है। अगर शिक्षकों, सरकारी कर्मचारियों और विचारकों की जुबान पर ताले लगा दिए जाएं तो फिर लोकतंत्र और तानाशाही में क्या अंतर रह जाता है? पश्चिम बंगाल की राजनीति दशकों से सांप्रदायिकता की जहर से मुक्त थी, लेकिन अब भाजपा के सत्ता में आने के बाद हालात तेजी से बदल रहे हैं। ओबीसी के आरक्षण को 17 प्रतिशत से घटाकर सात प्रतिशत कर दिया गया है और मुसलमानों को उससे वंचित कर दिया गया है। इसके साथ ही मदरसों में जबरन 'वंदे मातरम' थोपा जा रहा है। ये अलग-अलग फैसले नहीं हैं, बल्कि एक व्यापक योजना का हिस्सा हैं। अफसोस की बात यह है कि देश में पहले ही सांप्रदायिक घृणा, मॉब लिंचिंग और भड़काऊ भाषणों द्वारा अल्पसंख्यकों के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। अगर अब राज्य सरकारें भी संवैधानिक प्रावधानों को नजरअंदाज करके बहुसंख्यक समाज की धार्मिक भावनाओं को भड़काकर उसका राजनीतिक इस्तेमाल करने लगें तो इसके नतीजे बेहद खतरनाक होंगे।

समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि भाजपा और उसका वैचारिक संगठन आरएसएस बार-बार 'सांस्कृतिक राष्ट्रवाद' के नाम पर ऐसे सभी कदमों को उचित ठहराता है, लेकिन हकीकत में यह केवल तानाशाही है और एक विशेष धर्म की विचारधारा को देशभर में लादना है। अगर एक विशेष विचारधारा को सरकारी ताकत के जरिए पूरे समाज पर लादा जाएगा तो इससे न केवल अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की भावना बढ़ेगी, बल्कि इससे लोकतंत्र की नींव भी कमजोर होगी। आज पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है, वह केवल एक राज्य की समस्या नहीं, बल्कि पूरे देश के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है।

हमारा समाज (20 मई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि अभी तक पश्चिम बंगाल सांप्रदायिक जहर से मुक्त था, लेकिन अब वहां हालात तेजी से बदल रहे हैं। नई सरकार के आक्रामक रुख के कारण मुसलमानों में असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है। इसके कारण आज बंगाल एक खतरनाक दोराहे पर खड़ा दिखाई देता है। यह किसी से छिपी हुई बात नहीं है कि भाजपा और संघ ने बंगाल को अपनी अगली राजनीतिक प्रयोगशगाला बना दिया है। उनका पूरा प्रयास यह है कि राज्य के सामाजिक संतुलन को इस तरह से बदल दिया जाए ताकि भविष्य में सेक्युलर राजनीति के लिए जमीन बाकी न बचे। इस लक्ष्य के साथ सुनियोजित तरीके से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि सांप्रदायिक राजनीति में हमेशा एक दुश्मन की तलाश होती है और संघ परिवार सालों से यह भूमिका मुसलमानों के जिम्मे डाल रहा है।

समाचारपत्र ने कहा है कि आज बंगाल के अधिकांश क्षेत्रों में मुसलमानों में असुरक्षा और बेचैनी तेजी से फैल रही है। छोटे व्यापारियों, दुकानदारों और मजदूरों को यह अहसास होने लगा है कि उनके कारोबार, उनकी सामाजिक आजादी और उनकी धार्मिक पहचान सब कुछ खतरे में है। समाचारपत्र ने मशवरा दिया है कि अगर कोई खतरा सामने हो तो उसे अक्लमंदी से टाला जाना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से आज हर व्यक्ति मुसलमानों के खिलाफ खुद को सबसे बड़ा 'मुजाहिद' (धर्म योद्धा) साबित करना चाहता है। जब दंगे होते हैं तो जानबूझकर युवा वर्ग को उत्तेजित किया जाता है और इस माहौल का नुकसान हमेशा गरीब मुसलमानों को उठाना पड़ता है। उन्हीं की दुकानें जलती हैं और उन्हीं के मकान तबाह होते हैं। एक और रुझान यह सामने आ रहा है कि कुछ तथाकथित मुस्लिम नेता मुसलमानों को चुनावी राजनीति से दूर रहने की सलाह देने लगे हैं। यह सलाह दरअसल राजनीतिक आत्महत्या के बराबर है। लोकतांत्रिक ढांचे में अगर कोई वर्ग खुद को राजनीतिक प्रक्रिया से अलग कर लेता है तो उसकी राजनीतिक हैसियत हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। उसकी आवाज विधानसभा और संसद में सुनाई नहीं देती, इसलिए मुसलमानों को समझ लेना चाहिए कि राजनीति से दूरी उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं है। अगर मुसलमान वोट नहीं देंगे और चुनावी प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे तो उनकी समस्याओं पर कौन बात करेगा और एवं अधिकारों की रक्षा कौन करेगा?

समाचारपत्र ने अपील की है कि मुसलमानों को आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट हो जाना चाहिए ताकि वे अपने अस्तित्व, अपनी सामाजिक और आर्थिक हैसियत को बचा सकें, क्योंकि कमजोर व्यक्ति की आवाज राजनीति में कोई नहीं सुनता। बंगाल के मुसलमानों को अपने कारोबार, शिक्षण संस्थानों और सामाजिक संगठनों के साथ-साथ राजनीतिक संगठनों को भी मजबूत व सक्रिय बनाना होगा। बंगाल की असली आत्मा हमेशा संयुक्त संस्कृति और धार्मिक सद्भावना रही है। यह भी हकीकत है कि टीएमसी और वाम दलों ने भी दशकों तक मुसलमानों को एक सुसंगठित राजनीतिक ताकत बनाने के बजाय उनका सिर्फ एक वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है। उन्होंने मुसलमानों के शैक्षणिक पिछड़ेपन, बेरोजगारी और आर्थिक समस्याओं के समाधान हेतु कोई ठोस प्रयास नहीं किया। इसके कारण जो समस्याएं पैदा हुईं, उनका लाभ सांप्रदायिक ताकतें उठा रही हैं।

पश्चिम बंगाल के मदरसों में वंदे मातरम का गायन अनिवार्य

उर्दू टाइम्स (22 मई) के अनुसार पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने राज्य के सभी मदरसों, सरकारी व सहायता प्राप्त स्कूलों, शिशु शिक्षा केंद्रों और माध्यमिक शिक्षा केंद्रों में सुबह के समय राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' का गायन अनिवार्य कर दिया है। इस सरकारी आदेश के बाद राज्य के राजनीतिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में एक नया विवाद शुरू हो गया है। राज्य सरकार के मदरसा शिक्षा बोर्ड की ओर से इस संदर्भ में एक आदेश जारी किया गया है। इसी तरह का एक अन्य आदेश राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा भी सभी सरकारी स्कूलों, सहायता प्राप्त स्कूलों और सभी शिक्षण संस्थानों के प्रबंधकों के नाम जारी किया गया है। इस आदेश में उन्हें स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि कक्षाएं शुरू होने से पहले सभी छात्र-छात्राएं सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन करें। इसके अतिरिक्त सभी जिलों के जिलाधिकारियों, शिक्षा विभाग के अधिकारियों और पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा से जुड़े अधिकारियों को एक अलग आदेश जारी करके कहा गया है

कि वे इस नियम को सख्ती से लागू करने का प्रयास करें। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में बताया कि यह फैसला छात्रों में राष्ट्रभक्ति की भावना को जागृत करने के लिए किया गया है।

इस सरकारी फैसले का विरोध करते हुए टीएमसी के नेता अतीकुर रहमान ने कहा है कि उन्हें व्यक्तिगत तौर पर वंदे मातरम से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सभी छात्रों पर इसे जबरन थोपना संविधान की भावना और उसमें दी गई धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम में कुछ देवी-देवताओं का उल्लेख होने के कारण कुछ लोगों को धार्मिक आधार पर इस पर आपत्ति हो सकती है। हालांकि, इस्लाम में अल्लाह के सिवा किसी अन्य की वंदना नहीं की जा सकती, लेकिन मातृभूमि और अपनी मां के प्रति श्रद्धा रखना भी हमारे ईमान का हिस्सा है। यही कारण है कि अभी तक किसी ने भी राष्ट्रगान 'जन, गण, मन' को गाने पर आपत्ति नहीं की।

इंकलाब (3 जून) के अनुसार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा शिक्षण संस्थानों में वंदे मातरम के गायन की अनिवार्यता की निंदा की है। बोर्ड ने मांग की है कि सरकार इस अधिसूचना को वापस लेकर मुस्लिम छात्र-छात्राओं को इससे मुक्त रखे। बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा है कि किसी भी छात्र को उसकी धार्मिक आस्था के विपरीत कोई गाना गाने पर मजबूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 और 28 का खुला उल्लंघन है। इलियास ने केरल सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में वंदे मातरम गाए जाने का भी विरोध किया है और कहा है कि यह सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का खुला उल्लंघन है। बोर्ड ने पश्चिम बंगाल के सभी मुस्लिम छात्रों, उनके अभिभावकों और शिक्षकों से अनुरोध किया है कि वे अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति सजग रहें। अगर किसी भी स्तर पर उन्हें जबरन वंदे मातरम गाने पर मजबूर किया जाता है तो वे इस संबंध में अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (23 मई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के सभी छह छंदों को गाने के विषय में देश में काफी विवाद चल रहा है। हाल ही में केंद्र

सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत सभी सरकारी समारोहों में राष्ट्रगान 'जन, गण, मन' के अतिरिक्त राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' का गायन भी अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर कोई व्यक्ति इस दिशा-निर्देश का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। समाचारपत्र ने कहा है कि वंदे मातरम शुरुआत से ही भारतीय मुसलमानों के लिए विवाद का विषय रहा है। यही कारण है कि जमीयत उलेमा-ए-हिंद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमात-ए-इस्लामी जैसे प्रमुख इस्लामी संगठनों ने वंदे मातरम के सभी छह छंदों को गाए जाने का कड़ा विरोध किया था। जमीयत के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा था कि वंदे मातरम इस्लाम और मुसलमानों की आस्था पर आघात करता है। इसे सरकारी समारोहों तथा शिक्षण संस्थानों में अनिवार्य करना संविधान की मूल भावना और धार्मिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों का खुला उल्लंघन है।

मुस्लिम संगठनों की ओर से वंदे मातरम पर आपत्ति का कारण यह बताया जाता है कि इस गीत में देश को एक देवी के रूप में प्रस्तुत किया गया है और उसकी वंदना करने पर जोर दिया गया है। दूसरी ओर, इस्लामी सिद्धांतों के अनुसार कोई भी मुसलमान अल्लाह के अतिरिक्त किसी अन्य की वंदना नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति अल्लाह के अतिरिक्त किसी अन्य की उपासना करता है तो वह 'शिर्क' (महापाप) का दोषी माना जाता है। समाचारपत्र ने यह भी रेखांकित किया है कि वंदे मातरम के चौथे और पांचवें छंद में दुर्गा और लक्ष्मी का स्पष्ट उल्लेख है और यहां वंदना का अर्थ उपासना या सजदा करने से है, इसलिए यह इस्लाम के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है।

समाचारपत्र ने यह भी लिखा है कि वंदे मातरम का उल्लेख साल 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास 'आनंद मठ' में मिलता है। इस उपन्यास में मुसलमानों और इस्लाम की आलोचना की गई है। इसमें यह संकेत दिया गया है कि इस देश में अंग्रेजों की तुलना में मुसलमानों का शासन अत्यधिक हिंदू विरोधी था, क्योंकि अंग्रेजों के शासनकाल में इस देश में शांति स्थापित हुई और हिंदू संस्कृति या सनातन धर्म को फिर से पनपने का अवसर मिला। यही कारण है कि एक वर्ग द्वारा इस उपन्यास को मुस्लिम विरोधी और अंग्रेज समर्थक घोषित किया गया था।

इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण कांग्रेस कार्यसमिति ने अक्टूबर 1937 के अपने अधिवेशन में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि भविष्य में वंदे मातरम को संपूर्ण रूप से गाने के बजाय सिर्फ इसके पहले दो छंद ही गाए जाएं। यह ऐतिहासिक निर्णय रबीन्द्रनाथ टैगोर और पंडित जवाहरलाल नेहरू के आपसी सलाह-मशवरे के बाद लिया गया था। नवंबर 2025 में जब वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाई गई तो भाजपा ने जानबूझकर इसके समर्थन में एक देशव्यापी अभियान चलाया और इसे सरकारी समारोहों तथा स्कूलों में गाना अनिवार्य कर दिया गया। हालांकि, कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया था, लेकिन भाजपा सरकार ने इसकी कोई परवाह नहीं की। यही कारण है कि हाल के विधानसभा चुनावों के बाद जब नई सरकारों के शपथ लेने का अवसर आया तो केरल से लेकर तमिलनाडु तक शपथ ग्रहण समारोहों के पहले और बाद में वंदे मातरम का गायन किया गया।

अब पश्चिम बंगाल सरकार ने भी इसे सभी स्कूलों और मदरसों में पूरी तरह अनिवार्य बना दिया है, जिससे मुसलमानों के एक बड़े वर्ग में गहरा असंतोष उभर रहा है। यह कहा जा रहा है कि इसे जबरन उस वर्ग पर लादा जा रहा है जो इसके पक्ष में नहीं हैं। वर्तमान स्थिति यह बन गई है कि अगर कोई मुसलमान अपनी राष्ट्रभक्ति साबित करने के लिए इस गीत को गाता है तो उसके 'तौहीद' के धार्मिक सिद्धांत का उल्लंघन होगा और अगर वह इसे नहीं गाता है तो उसे देश का गद्दार घोषित कर दिया जाएगा। इस प्रकार अब मुसलमानों के लिए 'आगे कुंआ और पीछे खाई' वाली स्थिति पैदा हो गई है।

असम विधानसभा द्वारा यूसीसी विधेयक पारित

सियासत (30 मई) के अनुसार असम विधानसभा ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पारित कर दिया है। गौरतलब है कि भाजपा की हिमंत बिस्वा सरमा सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले अपने चुनावी घोषणा पत्र में यह वादा किया था कि अगर वह सत्ता में आती है तो सबसे पहले राज्य में यूसीसी लागू करेगी। असम यूसीसी विधेयक पारित करने वाला देश का तीसरा राज्य

देता है तो उस महिला को अदालत से गुजारा भत्ता प्राप्त करने का कानूनी अधिकार होगा। अगर कोई दंपत्ति जानबूझकर तलाक या शादी का पंजीकरण निश्चित अवधि में नहीं करवाता है तो उसे 10 हजार रुपये तक के जुर्माने का भुगतान करना होगा। लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण न करवाने पर तीन महीने तक की जेल और 10 हजार रुपये का जुर्माना हो सकता है। इसी तरह एक से ज्यादा विवाह करने या तथ्य छिपाकर धोखे से विवाह करने वालों को सात साल तक की जेल हो सकती है। इस कानून में महिलाओं के लिए पति की संपत्ति में हिस्सेदारी की स्पष्ट व्यवस्था की गई है।

बन गया है। इससे पहले उत्तराखंड और गुजरात इस कानून को पारित कर चुके हैं। सदन में विपक्षी दलों खासकर कांग्रेस ने यूसीसी विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि इस संबंध में विभिन्न पक्षों की राय जानने के लिए इसे विधानसभा की संयुक्त चयन समिति के हवाले किया जाए, लेकिन सदन ने भारी बहुमत से इसे मंजूर कर लिया।

नए कानून के अनुसार राज्य में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप के लिए एक समान कानून लागू किया जाएगा। हालांकि, आदिवासियों को उनके पारंपरिक रीति-रिवाजों और परंपराओं की रक्षा के लिए इस कानून से छूट दी गई है। इस कानून के तहत बहुविवाह पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अतिरिक्त विवाह और लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण भी अनिवार्य किया गया है। कानून के अनुसार विवाह का पंजीकरण 60 दिनों के भीतर करवाना होगा, जबकि लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण 30 दिनों के भीतर कराना अनिवार्य होगा। कानून में लिव-इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चों को पूरी तरह वैध माना जाएगा और उन्हें पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकारी भी माना जाएगा। अगर कोई महिला किसी पुरुष के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहती है और वह पुरुष उसे छोड़

विधानसभा में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि यह कानून सभी नागरिकों और विशेष रूप से महिलाओं को समान अधिकार व न्याय दिलाने के उद्देश्य से पारित किया गया है। दूसरी ओर, विपक्ष का आरोप है कि यह कानून मुसलमानों के शरिया कानून में हस्तक्षेप है, जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। उल्लेखनीय है कि शरिया में हर व्यक्ति को एक साथ चार निकाह करने का अधिकार दिया गया है। इसके अतिरिक्त शरिया में निकाह की न्यूनतम उम्र भी निर्धारित नहीं है। इसमें महिलाओं को पैतृक संपत्ति में पुरुषों के बराबर संपत्ति देने की भी व्यवस्था नहीं है।

मुंबई उर्दू न्यूज (27 मई) के अनुसार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी ने असम सरकार द्वारा पारित यूसीसी विधेयक की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यह कानून मुसलमानों की धार्मिक पहचान और शरिया के लिए खतरा है। इसके

खिलाफ जनता को सड़क पर विरोध प्रदर्शन करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान स्थिति में सिर्फ बयानबाजी और कागजी विरोध से काम नहीं चलेगा।

इंकलाब (26 मई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि असम विधानसभा में यूसीसी विधेयक पारित कर दिया गया है। हालांकि, सरकार यह दावा करती है कि इससे सभी वर्गों को बराबरी और न्याय मिलेगा, लेकिन अगर इस विधेयक के विभिन्न पहलुओं पर नजर डाला जाए तो यह सिर्फ कानूनी सुधार तक ही सीमित नजर नहीं आता, बल्कि इसके दूरगामी सामाजिक, संवैधानिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परिणाम होंगे। भारत का संविधान न केवल नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है, बल्कि उन्हें इस बात की गारंटी भी देता है कि वे अपनी अलग धार्मिक आजादी और सांस्कृतिक पहचान को भी बनाए रखें। ऐसी स्थिति में यूसीसी के नाम पर सभी धर्मों के पर्सनल लॉ को एक ही सांचे में ढालने का प्रयास कई सवाल खड़ा करता है। जैसे- इस कानून के पारित होने से मुसलमानों के शरिया कानूनों को उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया है। हकीकत यह है कि इसका सबसे अधिक असर मुस्लिम पर्सनल लॉ पर पड़ेगा। इनमें निकाह, उत्तराधिकार और तलाक संबंधी इस्लामी कानून शामिल हैं, जो निश्चित रूप से मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप है।

सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि इस विधेयक में लिव-इन रिलेशनशिप को कानूनी आधार प्रदान किया गया है और इसका पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। जो लोग भारतीय सामाजिक ढांचे से अवगत हैं वे निश्चित रूप से यह स्वीकार करेंगे कि बगैर निकाह या विवाह के पुरुषों और महिलाओं के संबंधों को कानूनी संरक्षण प्रदान करना नैतिक और सामाजिक आधार पर गलत है। इससे परिवारिक ढांचा खंडित होगा। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अगर यह कानून सभी वर्गों पर समान रूप से लागू करने के लिए पारित किया गया है तो इससे आदिवासियों को क्यों अलग रखा गया है? विवाह, तलाक और निजी संबंधों के अनिवार्य पंजीकरण से व्यक्तिगत संबंधों में सरकारी हस्तक्षेप के नए दरवाजे खुल गए हैं, जो भारत जैसे देश के लिए खतरनाक हैं।

समाचारपत्र ने कहा है कि भारतीय समाज इस समय एक सामाजिक और धार्मिक संवेदनशील दौर से गुजर रहा है। किसी भी कानून को लागू करने से पहले उसके बारे में धार्मिक नेतृत्व, संवैधानिक विशेषज्ञों और सामाजिक संस्थानों से सलाह-मशवरा करना जरूरी था। हालांकि, इसमें संदेह नहीं कि इससे महिलाओं के अधिकारों में बढ़ोतरी होगी और कम उम्र के विवाह में कमी आएगी, लेकिन इन सुधारों का रास्ता धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को नजरअंदाज करके नहीं निकाला जाना चाहिए था। असम का प्रस्तावित यूसीसी सिर्फ एक कानूनी विधेयक नहीं है, बल्कि भारत के संवैधानिक मिजाज, धार्मिक आजादी और सामाजिक संतुलन के लिए एक कड़ी परीक्षा है। ■

बकरीद पर गोवंश की कुर्बानी न देने पर जोर

इस बार बकरीद के अवसर पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी सहित उत्तर प्रदेश के कई मुस्लिम नेताओं द्वारा देश के मुसलमानों से की गई अपील का व्यापक असर देखा गया। महमूद मदनी ने मुसलमानों से अपील की थी कि इस बार बकरीद के अवसर पर गोवंश की कुर्बानी न दें, क्योंकि कुछ शरारती तत्वों द्वारा हर बार इस मुद्दे पर समाज में अशांति और विवाद पैदा करने का प्रयास किया जाता है, जो मुसलमानों के हित में नहीं होता। मुस्लिम संगठनों और नेताओं ने अपने दिशा-निर्देशों में साफ किया था कि देश के अधिकांश हिस्सों में गोवंश की

हत्या कानूनी रूप से प्रतिबंधित है, इसलिए सभी को इस कानून का सम्मान करना चाहिए।

हिंदुस्तान (30 मई) के अनुसार तेलंगाना के सिरसिल्ला में मुस्लिम संगठनों ने मांग की है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करके उसकी हत्या पर देशव्यापी कानूनी प्रतिबंध लगाया जाए। इससे पहले जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी एवं लखनऊ के मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली भी इसी तरह की मांग कर चुके हैं। समाचारपत्र के अनुसार सरकार के कड़े रुख के कारण इस बार बकरीद के अवसर पर किसी बड़ी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। हालांकि, लखनऊ के मलिहाबाद स्थित कसमंडी कलां में एक धार्मिक स्थल को लेकर कुछ विवाद पैदा हुआ। पासी समुदाय का दावा है कि यह ढांचा 11वीं शताब्दी के प्रतापी नागवंशी राजा कंस पासी के प्राचीन किले और शिव मंदिर पर बना है। इस संबंध में पासी समुदाय के नेता सूरज पासवान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र भी लिखा था। कानून व्यवस्था और संभावित तनाव को देखते हुए प्रशासन ने बकरीद के अवसर पर इस विवादित स्थल पर नमाज अदा करने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और दिल्ली सरकार के सख्त निर्देशों के कारण मुसलमानों ने सड़कों पर बकरीद की नमाज अदा नहीं की। हालांकि, राजस्थान के जयपुर में कुछ स्थानों पर लोगों द्वारा सड़क पर नमाज अदा करने की खबरें आईं।

हिंदुस्तान (22 मई) के अनुसार पश्चिम बंगाल के विवादित मुस्लिम नेता हुमायूं कबीर ने धमकी दी थी कि वे हर हाल में बकरीद पर गोवंश की कुर्बानी देंगे, क्योंकि यह मुसलमानों का अधिकार है। इस पर राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया था कि किसी भी कीमत पर अवैध रूप से गोवंश की कुर्बानी नहीं होने दी जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। राज्य सरकार की इस कड़ी चेतावनी और नियमों की कड़ाई के बाद हुमायूं कबीर सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए।

उर्दू टाइम्स (27 मई) ने अपने संपादकीय में जमीयत उलेमा महाराष्ट्र की उस अपील की

आलोचना की है, जिसमें मुसलमानों से अपील की गई थी कि वे बकरीद के मौके पर किसी भी प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी न दें। समाचारपत्र का तर्क है कि जमीयत उलेमा की इस तरह की अपीलों से समाज में यह भ्रांति पैदा होती है कि मुसलमान अब तक अवैध रूप से गोवंश की कुर्बानी देते आ रहे हैं।

उर्दू टाइम्स (30 मई) ने कहा है कि अगर देश में मुसलमानों द्वारा गोवंश की कुर्बानी पर प्रतिबंध है तो सरकार मांस को निर्यात करने की अनुमति क्यों दे रही है? समाचारपत्र ने दावा किया है कि महाराष्ट्र से निर्यात होने वाले मांस का 40 प्रतिशत विदेशों में भेजा जाता है और इस धंधे में कोई मुसलमान नहीं, बल्कि वही लोग शामिल हैं जो खुद को गोरक्षक कहते हैं।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (2 जून) ने कहा है कि इस्लाम में गाय की कुर्बानी देना अनिवार्य नहीं है, इसलिए मुसलमानों को केवल उन्हीं पशुओं की कुर्बानी करनी चाहिए जिनका कुरान में निर्देश दिया गया है।

हिंदुस्तान (28 मई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि जब से गोवंश की हत्या पर प्रतिबंध लगा है तब से देश के मुसलमान इस कानून का सम्मान कर रहे हैं और वे सिर्फ बकरों, दुंबों, भेड़ों और भैसों की कुर्बानी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हर साल किसी न किसी बहाने से मुसलमानों को परेशान किया जाता है। हाल ही में मुंबई के मीरा रोड़ में एक बकरे की कुर्बानी पर भी शरारती तत्वों ने विरोध किया और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश की। मुसलमानों को ऐसे शरारती तत्वों से सावधान रहना चाहिए और उनकी बातों में नहीं उलझना चाहिए।

मुंबई उर्दू न्यूज (30 मई) ने आरोप लगाया है कि जब भी बकरीद नजदीक आती है गाय की आड़ लेकर मुसलमानों के खिलाफ देश में नफरत का माहौल बनाया जाता है। यह आरोप लगाया जाता है कि मुसलमान जानबूझकर हिंदुओं की धार्मिक भावना को आहत पहुंचाते हैं। हालांकि, जब से कानून बना है मुसलमान उसका सम्मान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ तत्व राजनीतिक लाभ उठाने के लिए गाय के मुद्दे को जानबूझकर उछालते रहते हैं। उत्तर प्रदेश में अब सरकार का रुख इतना कड़ा हो गया है कि मुसलमानों को अब नमाज पढ़ने और बकरे की कुर्बानी देने से भी डर लगता है।

मुंसिफ (3 जून) ने अपने संपादकीय में भाजपा पर गाय के मामले में दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया है। समाचारपत्र ने कहा है कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा इस बात पर जोर देते हैं कि लोग खुलकर गोमांस खाएं। अजीब बात यह है कि मोदी सरकार के एक मंत्री किरेन रिजिजू ने भी गोमांस खाने का दावा किया और उनके राज्य की भाजपा सरकार ने गोहत्या की खुली छूट दे रखी है। अजीब बात है कि अब तक भाजपा या आरएसएस के किसी भी नेता ने सरमा या रिजिजू के बयान की निंदा नहीं की है। सच्चाई यह है कि भाजपा के लिए गोरक्षा कोई आस्था या धर्म का विषय नहीं है। वह इस हथियार का इस्तेमाल हिंदू वोटों को भ्रमित करके सत्ता में आने

के लिए करती आ रही है, लेकिन इस बार मुस्लिम नेताओं ने भी एक नया ब्रह्मास्त्र चलाया है और उन्होंने खुलेआम यह मांग की है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करके उसकी हत्या पर देशभर में कानूनी प्रतिबंध लगाया जाए।

कौमी तंजीम (19 मई) ने अपने संपादकीय में आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को एक हिंदू राज्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं और वे मुसलमानों का जीना दूभर कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने सड़क पर नमाज अदा करने वालों को कड़ी धमकी दी है। समझने की बात यह है कि कोई खुशी से या अपनी पसंद से मस्जिद के बाहर नमाज अदा नहीं करता, बल्कि मस्जिद में जगह न होने के कारण मजबूरी में कई बार सड़क पर भी नमाज अदा करनी पड़ती है, क्योंकि नमाज का समय निर्धारित होता है और इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। अजीब बात है कि योगी आदित्यनाथ को कांवड़ियों और रामनवमी के जुलूसों के दौरान सड़कों को जाम होना दिखाई नहीं देता। ■

पाकिस्तान से नियंत्रित आतंकवादियों का गिरोह गिरफ्तार

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (31 मई) के अनुसार देश की विभिन्न खुफिया एजेंसियों की कार्रवाई में एक दर्जन से अधिक आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके तार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े हुए हैं। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ के अनुसार आईएसआई भारतीय युवकों को फंसाने के लिए मुंबई अंडरवर्ल्ड और पाकिस्तानी आतंकवादी शहजाद भट्टी का इस्तेमाल कर रही थी। दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता के अनुसार अब तक इस गिरोह के संबंध में आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अन्य एक दर्जन संदिग्ध आतंकवादियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तार किए गए लोगों को महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से पकड़ा गया है। इनके कब्जे से पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बने चार हैंड ग्रेनेड, दो पिस्तौल और 24 कारतूस बरामद किए गए हैं। उनके कब्जे से पाकिस्तान स्थित उनके हैंडलर के साथ बातचीत से संबंधित मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के अनुसार इस नेटवर्क का उद्देश्य

संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने सहारनपुर में छापेमारी कर चार आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें शाहरुख, मुशर्रफ, महकाब और गगनदीप शामिल हैं। इनमें से महकाब और शाहरुख सहारनपुर के सरसावा क्षेत्र के रहने वाले हैं, जबकि मुशर्रफ का संबंध हरिद्वार से है। वहीं, गगनदीप उर्फ गुरी सिंह मुजफ्फरनगर का रहने वाला है।

दिल्ली, मुंबई और पंजाब में महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों और पुलिस ठिकानों को निशाना बनाना था।

दिल्ली के विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ला ने कहा कि गिरफ्तार किए गए लोगों के खिलाफ यूएपीए और भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं। जांच के बाद पहली गिरफ्तारी 14 मई 2026 को उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के रहने वाले विजय उर्फ शूटर को पुणे से गिरफ्तार किया गया। विजय पाकिस्तान और दुबई में स्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क से लगातार संपर्क में था। उसे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में आतंकवादियों की भर्ती तथा आतंकवादी गतिविधियों के संचालन की जिम्मेदारी दी गई थी। उससे की गई पूछताछ के बाद झारखंड के साहिबगंज से उसके एक साथी नीतीश पासवान को गिरफ्तार किया गया। इनसे पूछताछ के बाद पुलिस ने मुंबई से तौकीर शेख और अरबाज खान को गिरफ्तार किया। ये दोनों आईएसआई के हैंडलर यावर खान और मुन्ना झिंगाड़ा उर्फ सैयद मुदस्सर हुसैन के संपर्क में थे। उन्हें मुंबई के रहने वाले हुजैफा ने भर्ती किया था, जो फिलहाल फरार है।

मुंबई उर्दू न्यूज (30 मई) के अनुसार राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र और झारखंड में 15 स्थानों पर छापेमारी कर दो दर्जन से अधिक

उत्तर प्रदेश एसटीएफ के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अमिताभ यश ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी आईएसआई से जुड़े शहजाद भट्टी और आबिद जट्ट के संपर्क में थे। दूसरी ओर, एनआईए के एक प्रवक्ता ने बताया कि हाल ही में हरियाणा के सिरसा में महिला थाने पर हुए आतंकवादी हमले के सिलसिले में नौ लोगों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया है। इस मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों में दो पाकिस्तानी नागरिक भी शामिल हैं।

इंकलाब (2 जून) के अनुसार उत्तर प्रदेश एटीएस ने आईएसआई के एक संदिग्ध एजेंट मोहम्मद शेख को आजमगढ़ से गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से अवैध हथियार भी बरामद हुआ है। बताया जाता है कि उसे एक महिला नेता की हत्या करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

उर्दू टाइम्स (26 मई) के अनुसार एनआईए ने प्रतिबंधित इस्लामी संगठन जमात-ए-इस्लामी, जम्मू-कश्मीर से जुड़े लोगों की तलाश में जम्मू-कश्मीर में कई स्थानों पर छापेमारी की है। ये छापे श्रीनगर, शोपियां और अनंतनाग में मारे गए। इन छापों के दौरान भारी मात्रा में धनराशि और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि यह धनराशि और उपकरण पाकिस्तान से लाए गए थे, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के लिए कश्मीरी युवाओं को भर्ती करना था।

रूस और अफगानिस्तान के बीच रक्षा समझौता

उर्दू टाइम्स (30 मई) के अनुसार रूस और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के बीच एक रक्षा समझौता हुआ है। हाल ही में इस संदर्भ में अफगानिस्तान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब मुजाहिद ने मॉस्को का दौरा किया, जहां उन्होंने रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु के साथ उच्चस्तरीय बातचीत की। इसके बाद इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत मुख्य रूप से अफगानिस्तान में मौजूद रूसी और सोवियत कालीन सैन्य उपकरणों व विमानों की मरम्मत तथा रखरखाव का काम किया जाएगा। इसके साथ ही अफगानिस्तान को अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणाली की आपूर्ति और अफगान सुरक्षा बलों को तकनीकी प्रशिक्षण देने पर भी सहमति बनी है।

गौरतलब है कि जुलाई 2025 में रूस ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी थी। इसके साथ ही रूस दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है, जिसने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के साथ रक्षा समझौता किया है।

इस समझौते के कारण पाकिस्तान को एक गहरा झटका लगने की संभावना है। अब तक अफगान सरकार के पास आधुनिक सैन्य विमान और प्रभावी वायु रक्षा प्रणाली उपलब्ध नहीं थी, जिसका फायदा उठाकर पाकिस्तानी वायुसेना ने राजधानी काबुल सहित अफगानिस्तान के कई सीमावर्ती शहरों को निशाना बनाया था, लेकिन अफगानिस्तान इसका करारा जवाब देने में असमर्थ था। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार इस समझौते से अमेरिका की चिंताएं भी बढ़ गई हैं, जो अफगान सरकार पर पश्चिमी प्रभाव बनाए रखने और क्षेत्रीय सुरक्षा संतुलन को अपने पक्ष में रखने हेतु दबाव डाल रहा था। मॉस्को में संवाददाताओं से बातचीत करते अफगानिस्तान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब मुजाहिद ने कहा कि रूस ने अफगानिस्तान की सहायता के लिए एक महत्वपूर्ण सैन्य कदम उठाया है और इस समझौते के बाद अफगानिस्तान अपनी संप्रभुता की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम होगा।

वहीं, रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु ने अफगानिस्तान पर पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों की कड़े शब्दों में निंदा की है। दूसरी ओर, विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान आर्थिक स्थिति को देखते हुए रूस के

लिए अफगानिस्तान को पूरी तरह मुफ्त या अत्यधिक महंगे हथियार देना बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि रूस स्वयं यूक्रेन युद्ध और प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। साथ ही वर्तमान में तालिबान सरकार भी बड़े पैमाने पर नकद भुगतान करने की स्थिति में नहीं है। इसके बावजूद इस समझौते से मिलने वाली सैन्य मदद अफगानिस्तान को पाकिस्तानी हवाई हमलों का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम बनाएगी।

समाचारपत्र के अनुसार रूस अफगानिस्तान में आईएसआईएस खुरासान प्रांत के बढ़ते प्रभाव से भी काफी चिंतित है। हाल ही में रूसी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस (एफएसबी) के प्रमुख अलेक्जेंडर बोर्टनिकोव ने अफगानिस्तान में पनप रहे इस्लामी आतंकवादी संगठनों की बढ़ती गतिविधियों पर गहरी चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि इन आतंकवादी गुटों को परोक्ष रूप से पश्चिमी देशों का समर्थन प्राप्त है।

हिंदुस्तान (24 मई) के अनुसार चीन द्वारा अफगानिस्तान को चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) में शामिल करने के प्रयासों का उद्देश्य इस क्षेत्र में अपना रणनीतिक और आर्थिक प्रभाव बढ़ाना है। चीनी विशेषज्ञों के अनुसार चीन अफगानिस्तान को अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) नेटवर्क से जोड़ना चाहता है ताकि उसे मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और हिंद महासागर तक वैकल्पिक व्यापारिक मार्ग उपलब्ध हो सके। चीन का इरादा अफगानिस्तान की खनिज संपदा का भी दोहन करना है। चीन के इस इरादे पर भारत ने चिंता प्रकट की थी और इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा बताया था। अब हाल ही में अफगानिस्तान सरकार का रूस के साथ जो रक्षा समझौता हुआ है, उसके कारण चीन की इस योजना को भी गहरा झटका लगा है।

बीएलए के हमले में 25 लोगों की मौत

उर्दू टाइम्स (25 मई) के अनुसार बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) के मजीद ब्रिगेड ने क्वेटा छावनी से लाहौर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को अपना निशाना बनाया और उस पर एक जबरदस्त आत्मघाती हमला किया। इस हमले में 25 लोग मारे गए, जिनमें अधिकांश सैनिक थे। इस हमले में लगभग 75 लोग घायल भी हुए हैं। सभी घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इनमें से कुछ घायलों की स्थिति नाजुक बनी हुई है, इसलिए मृतकों की संख्या में बढ़ोतरी भी हो सकती है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके इस हमले की पुष्टि की है। बीएलए के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पेशावर और लाहौर से विशेष सैन्य दस्तों को वायुसेना के जरिए क्वेटा भेजा गया है।

चट्टान (20 मई) के अनुसार खैबर पख्तूनख्वा के बाजौर में एक पुलिस स्टेशन पर आतंकवादियों ने हमला किया, जिसमें कम से कम सात पुलिसकर्मी मारे गए। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने इस हमले में मरने वाले पुलिस

अधिकारियों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि इस हमले के दौरान पुलिस स्टेशन में ठहरी हुई पोलियो टीकाकरण टीम को भी आतंकवादियों ने अपना निशाना बनाया, जिससे इस टीम से जुड़े तीन लोगों की मौत हो गई। गौरतलब है कि स्थानीय स्तर पर कुछ कट्टरपंथियों और आतंकवादियों द्वारा पोलियो उन्मूलन अभियान का हिंसक विरोध किया जाता है। उनका मानना है कि पाकिस्तान सरकार इस अभियान की आड़ में मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार रही है।

पाकिस्तान का इजरायल के साथ राजनयिक संबंध बनाने से इनकार

औरंगाबाद टाइम्स (27 मई) के अनुसार पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने घोषणा की है कि पाकिस्तान सरकार ने अमेरिका के उस अनुरोध को ठुकरा दिया है, जिसमें पाकिस्तान से इजरायल को मान्यता देने और उसके साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए कहा गया था। उन्होंने कहा कि अमेरिकी दबाव के बावजूद पाकिस्तान अपने बुनियादी आदर्शों से किसी भी तरह का समझौता नहीं कर सकता और न ही उनसे पीछे हट सकता है। आसिफ ने कहा कि "हम ऐसे लोगों के साथ कैसे बैठ सकते हैं, जिनकी बातों पर एक दिन भी विश्वास नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके पासपोर्ट पर स्पष्ट लिखा है कि यह इजरायल को छोडकर दुनिया के सभी देशों के लिए मान्य है।" उन्होंने स्वीकार किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कई मुस्लिम देशों सहित पाकिस्तान पर भी 'अब्राहम समझौते' में शामिल होने का दबाव बनाया था, लेकिन पाकिस्तान इसमें किसी भी कीमत पर शामिल नहीं होगा। फिलिस्तीन का मुद्दा पाकिस्तान की जनता से भावनात्मक और धार्मिक दोनों ही रूपों में गहराई से जुड़ा हुआ है।

हिंदुस्तान (27 मई) के अनुसार सऊदी अरब ने अमेरिका को दो टूक शब्दों में बता दिया है कि जब तक इजरायल एक स्वतंत्र और संप्रभु फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता नहीं देता तब तक उसके साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं होगा। गौरतलब है कि ट्रम्प ने सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान और तुर्किये जैसे मुस्लिम देशों को इजरायल के साथ 'अब्राहम समझौते' के तहत राजनयिक स्थापित करने का प्रस्ताव दिया था, जिसे इन देशों ने खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि अब्राहम समझौते के तहत चार मुस्लिम देश- संयुक्त अरब अमीरात, मोरक्को, सूडान और बहरीन पहले से ही शामिल इजरायल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित कर चुके हैं।

सियासत (3 जून) ने अपने संपादकीय में कहा है कि अमेरिकी प्रशासन द्वारा यह लगातार

प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक मुस्लिम देश 'अब्राहम समझौते' में शामिल हों। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प की रणनीति यह है कि पश्चिम एशिया में ईरान के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए मुस्लिम देशों का एक ऐसा नया गुट बनाया जाए, जिसके इजरायल के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध हों। यह कूटनीतिक प्रयास 2020 में शुरू किया गया था, जिसके बाद अमेरिकी मध्यस्थता से संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ने इजरायल को मान्यता दी थी। बाद में इस गठबंधन में मोरक्को और सूडान भी शामिल हो गए। हालांकि, इस अमेरिकी प्रयास का कई प्रमुख मुस्लिम देशों ने कड़ा विरोध किया है। इसी कारण सऊदी अरब और पाकिस्तान खुलकर इजरायल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए तैयार नहीं हुए हैं। हालांकि, कूटनीतिक हलकों में उनके बीच अनौपचारिक या अप्रत्यक्ष व्यापारिक संबंधों की चर्चाएं होती रही हैं।

बांग्लादेश की विदेश नीति का कट्टर इस्लामी रुख

उर्दू टाइम्स (22 मई) के अनुसार प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की नई सरकार ने अपनी विदेश नीति में एक बड़ा बदलाव किया है। सरकार के निर्देशानुसार भविष्य में जारी होने वाले सभी पासपोर्टों पर यह वाक्य फिर से लिखा जाएगा कि "यह पासपोर्ट इजरायल को छोड़कर दुनिया के सभी देशों के लिए मान्य है।" गौरतलब है कि शेख हसीना के शासनकाल में साल 2020 में इस वाक्य को हटा दिया गया था। इसके अतिरिक्त नए पासपोर्टों के आंतरिक पृष्ठों से तुंगीपारा स्थित बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान का मकबरा, सुहरावर्दी उद्यान में स्वतंत्रता स्मारक, पद्मा ब्रिज, रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, मुजीबनगर मेमोरियल समेत कई ऐतिहासिक स्मारकों के चित्र हटा दिए गए हैं।

हमारा समाज (27 मई) के अनुसार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने घोषणा की है कि वे अपनी पहली विदेश यात्रा चीन से शुरू करेंगे। हालांकि, अभी तक की यह परंपरा रही है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री सबसे पहले भारत का दौरा करते थे। बांग्लादेश में चीन के राजदूत ने मीडिया को बताया कि तारिक रहमान के चीन दौरे से दोनों देशों के संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। चीन बांग्लादेश को राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक विकास और जन कल्याण के कार्यों में पूरा सहयोग देगा। इसके साथ ही भारत के साथ हुए गंगा जल बंटवारे के समझौते पर पुनर्विचार किया जाएगा।

बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के सलाहकार हुमायूं कबीर ने बताया कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की तीस्ता नदी के विकास के बारे में चीन से जो बातचीत की जा रही थी वह लाभदायक रही है और चीन ने इस परियोजना के लिए आर्थिक सहयोग देने का आश्वासन दिया है। इसके अतिरिक्त चीन ने यह भी आश्वासन दिया है कि बांग्लादेश के आर्थिक और खाद्य संकट के समाधान के लिए भी वह सहयोग देगा और चीनी

चावल को बांग्लादेश को उचित मात्रा में उपहार के रूप में आपूर्ति करने के बारे में भी योजना बनाई जा रही है।

इसी समाचारपत्र ने एक अन्य समाचार में कहा है कि चीन ने बांग्लादेश में बढ़ती महंगाई, ऊर्जा संकट और उत्पादन की लागत में हो रही वृद्धि को रोकने के लिए आर्थिक सहयोग देने का आश्वासन दिया है। बांग्लादेश अभी तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 95 प्रतिशत भाग आयात करता है। बांग्लादेश सरकार को यह आशा है कि अब चीन के सहयोग से भारत और अन्य देशों पर यह निर्भरता काफी हद तक कम हो जाएगी। चीन ने बांग्लादेश को नौ अरब डॉलर की आर्थिक सहायता देने का भी आश्वासन दिया है।

अमेरिका की मस्जिद पर हमला

सियासत (21 मई) के अनुसार अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित सैन डिएगो की सबसे बड़ी मस्जिद पर दो सशस्त्र हमलावरों ने अंधाधुंध गोलियां चलाईं, जिससे दोनों हमलावर सहित पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इस मस्जिद परिसर में स्थित मदरसे में पढ़ने वाले 140 बच्चों को हमलावरों ने अपना निशाना बनाने का प्रयास किया था। इन बच्चों को बचाने के लिए मस्जिद के 51 वर्षीय सुरक्षाकर्मी अमीन अब्दुल्ला ने हमलावरों पर जवाबी गोलीबारी की, जिसके कारण हमलावरों ने अमीन को मौत के घाट उतार दिया। इसके अतिरिक्त मस्जिद के दो अन्य कर्मचारी मंसूर काजिहा और नादेर अवाद भी इस हमले में मारे गए, जिन्होंने हमलावरों का ध्यान भटका कर बच्चों की जान बचाई थी। इस घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और एफबीआई के जवानों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। पुलिस की घेराबंदी के डर से दोनों हमलावर वहां से कार में सवार होकर भागे और कुछ ही दूरी पर उन्होंने एक-दूसरे को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। हमलावरों की उम्र लगभग 18 वर्ष बताई गई है।

एतेमाद (20 मई) के अनुसार न्यूयॉर्क के पुलिस प्रमुख ने बताया कि सैन डिएगो में मस्जिद पर हुए हमले के बाद अमेरिका की सभी मस्जिदों और इस्लामी केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। देश में इस्लाम विरोधी संगठनों से संबंधित लोगों की निगरानी सख्त की जा रही है। इस बात की भी संभावना जताई गई है कि इस घटना की प्रतिक्रिया में यहूदियों के उपासना स्थलों पर हमले हो सकते हैं, जिसके चलते वहां भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने कहा है कि अमेरिका में बढ़ता हुआ इस्लामोफोबिया बेहद खतरनाक है। उन्होंने सभी अमेरिकी नागरिकों से अपील की है कि वे एकजुट होकर इस्लामोफोबिया का मुकाबला करें और डर की राजनीति के खिलाफ खड़े हों। दूसरी ओर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने भी इस घटना की निंदा करते हुए कहा है कि लंदन में भी मस्जिदों और इस्लामी केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

इजरायली सेना द्वारा ऐतिहासिक इब्राहिमी मस्जिद बंद

इंकलाब (31 मई) के अनुसार इजरायली सेना ने दक्षिणी वेस्ट बैंक के हेब्रोन शहर में स्थित ऐतिहासिक इब्राहिमी मस्जिद को पूरी तरह से बंद कर दिया है। सेना ने बलपूर्वक कार्रवाई करते हुए वहां मौजूद इमामों, प्रबंधकों और नमाजियों को मस्जिद परिसर से बाहर निकाल दिया है। इस धार्मिक स्थल की मुख्य विशेषता यह है कि इसे यहूदी, ईसाई और मुसलमान– तीनों धर्मों के अनुयायी अपना पवित्र स्थान मानते हैं। इस्लामिक धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पवित्र स्थान पर हजरत इब्राहिम और उनके परिवार की कब्रें हैं। दूसरी ओर, यहूदी और ईसाई धार्मिक पुस्तकों में इस स्थान को 'मकपेला की गुफा' कहा गया है। ईसाई और यहूदी इसे 'पितरों की गुफा' कहते हैं, जबकि मुसलमान इसे 'इब्राहिमी मस्जिद' कहते हैं।

इतिहासकारों के अनुसार इस स्थल पर बनी विशाल प्राचीर का इतिहास लगभग दो हजार साल पुराना है। बाद में 12वीं शताब्दी में इसे एक गिरजाघर में बदल दिया गया था, जिसका निर्माण पहले से मौजूद प्राचीन संरचनाओं पर किया गया था। 12वीं शताब्दी के अंत में अय्यूबी वंश के सुल्तानों ने इसे मस्जिद में परिवर्तित कर दिया। साल 1967 तक यह पूरा क्षेत्र जॉर्डन के नियंत्रण में था और तब यहां यहूदियों के प्रवेश पर प्रतिबंध था। जब इजरायल ने वेस्ट बैंक को अपने नियंत्रण में ले लिया तो इस परिसर के एक हिस्से में यहूदी उपासना स्थल भी स्थापित कर दिया गया।

इजरायल द्वारा इस मुस्लिम धार्मिक स्थल को बंद करने और उसमें मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ अरब देशों में कड़ा विरोध व्यक्त किया जा रहा है। फिलिस्तीन के वक्फ और धार्मिक मामलों के मंत्रालय ने इसे उपासना की स्वतंत्रता पर हमला करार दिया है। फिलिस्तीनी प्राधिकरण ने आरोप लगाया है कि इजरायल इस पूरे इस्लामी उपासना स्थल को यहूदी स्थल में बदलने का प्रयास कर रहा है। इसी उद्देश्य से मस्जिद को ताला लगाकर सील कर दिया गया है और इजरायली सेना ने चारों तरफ

सैन्य चौकियां स्थापित कर दी हैं, जिससे किसी भी मुसलमान को इस क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिल पा रही है।

उर्दू टाइम्स (1 जून) के अनुसार भारी संख्या में यहूदियों ने मस्जिद अल-अक्सा में प्रवेश करके वहां इजरायली झंडा लहराया और राष्ट्रगान गाया। इसके अतिरिक्त उन्होंने मस्जिद परिसर में अपनी धार्मिक उपासना और अनुष्ठान भी शुरू कर दिए हैं। फिलिस्तीनी न्यूज एजेंसी 'वफा' ने आरोप लगाया है कि मस्जिद अल-अक्सा में प्रवेश करने वाले इन यहूदियों को इजरायली सुरक्षा बल पूरा संरक्षण दे रहे थे और इजरायल द्वारा लंबे समय से मस्जिद अल-अक्सा को यहूदी उपासना स्थल में बदलने का जो मंसूबा बनाया जा रहा था, यह घटना उसी का एक हिस्सा है। यरुशलम प्रशासन की रिपोर्ट के अनुसार इस साल की शुरुआत से इजरायली अधिकारियों ने शहर में 200 से ज्यादा घरों और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों को तोड़ दिया है। उनका इरादा इस पवित्र मस्जिद के आसपास के क्षेत्रों में यहूदियों को बसाना है।

इजरायल का लेबनानी क्षेत्रों को खाली करने से इनकार

एतेमाद (31 मई) के अनुसार अमेरिका द्वारा इजरायल और लेबनान के बीच समझौता करवाने का जो प्रयास किया जा रहा था, वह विफल हो गया है। इजरायली मीडिया के अनुसार इजरायल ने दक्षिण लेबनान के उन क्षेत्रों को खाली करने से साफ इनकार कर दिया है, जिन पर उसने हाल ही में कब्जा किया था। गौरतलब है कि लेबनान ने अमेरिका पर यह दबाव डाला था कि इजरायल ने उसके जिन क्षेत्रों पर कब्जा किया है उसे वह खाली कर दे। कहा जाता है कि अमेरिका भी इस पक्ष में था कि इजरायल इन क्षेत्रों से अपने सैनिकों को वापस बुला ले।

लेबनानी मीडिया के अनुसार दोनों देश इस संदर्भ में कोई सीधी बातचीत नहीं कर रहे थे, बल्कि वे अमेरिकी मध्यस्थ के जरिए बातचीत कर रहे थे। लेबनान ने उन शर्तों के बारे में इजरायल से स्पष्टीकरण मांगा था, जो इजरायल द्वारा इन क्षेत्रों को खाली न करने के लिए दी जा रही थीं। इजरायल ने स्पष्ट कहा कि जब तक हिजबुल्लाह पूर्ण रूप से नि:शस्त्रीकरण नहीं करेगा और अपने हथियारों को अंतरराष्ट्रीय मिशन को नहीं सौंपेगा तब तक वह इन क्षेत्रों को खाली नहीं करेगा, क्योंकि इस क्षेत्र से हिजबुल्लाह की ओर से इजरायल पर नए हमलों का गंभीर खतरा बना हुआ है। बताया जाता है कि हिजबुल्लाह नि:शस्त्रीकरण के प्रस्ताव को मानने से लगातार इनकार करता रहा है। पेंटागन के एक प्रवक्ता ने कहा कि हम यह चाहते हैं कि इन दोनों देशों के बीच स्थायी शांति स्थापित हो और इजरायल लेबनान की संप्रभुता तथा अखंडता का पूरा सम्मान करे।

गौरतलब है कि इजरायल ने 16 अप्रैल को दोनों देशों के बीच हुए युद्धविराम के बावजूद उसका उल्लंघन करते हुए लेबनान के अनेक क्षेत्रों

पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। लेबनान सरकार के एक प्रवक्ता के अनुसार इजरायली हमलों के कारण अब तक साढ़े तीन हजार से अधिक लेबनानी नागरिक मारे जा चुके हैं और हमलों का सिलसिला अभी भी जारी है।

सियासत (1 जून) के अनुसार इजरायली सेना लेबनान में 30 किलोमीटर अंदर तक घुस गई है और उसने दक्षिण लेबनान की पहाड़ियों तथा ऐतिहासिक ब्यूफोर्ट कैसल पर कब्जा कर लिया है। अरब मीडिया के अनुसार इजरायल ने लेबनान के लगभग दो हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा किया है, जो लेबनान के कुल क्षेत्रफल का 20 प्रतिशत हिस्सा है। इजरायली रक्षा मंत्रालय ने नबातीह शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों के नागरिकों से अपील की है कि वे इस क्षेत्र को खाली कर दें, क्योंकि इजरायली सेना इस क्षेत्र पर बमबारी करने वाली है।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इजरायली सेना 26 सालों में पहली बार लेबनान की सीमा में इतनी गहराई तक घुसी है। लेबनान के प्रधानमंत्री ने इजरायली कब्जे की निंदा की है, जबकि मिस्र ने लेबनान के साथ एकजुटता दिखाते हुए इजरायली सेना को वापस बुलाने की मांग की है। दूसरी ओर, हिजबुल्लाह की ओर से उत्तरी इजरायल पर रॉकेट हमले फिर से शुरू हो गए हैं। ताजा समाचारों के अनुसार इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान में एक बड़ा जमीनी हमला करने के लिए भारी संख्या में सीमा पर इकट्ठा हो रही है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसकी सेना ने लिटानी नदी को पार करके हिजबुल्लाह के उत्तरी क्षेत्रों में स्थित ठिकानों पर हमला शुरू कर दिया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उन्होंने इजरायली सेना को आदेश दिया है कि वह दक्षिण लेबनान के अतिरिक्त राजधानी बेरूत और बेका घाटी में भी सैन्य कार्रवाई तेज कर दे। लेबनान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है।

उर्दू टाइम्स (31 मई) ने कहा है कि इजरायल और अमेरिका के बीच मतभेद बढ़ रहे हैं। दशकों तक अमेरिकी विदेश नीति पर इजरायल का गहरा प्रभाव रहा, लेकिन अब अमेरिका इजरायल से अधिक अपने क्षेत्रीय हितों को प्राथमिकता दे रहा है। हाल ही में अमेरिका ने इजरायल पर लेबनान से सेना हटाने का दबाव बनाया, लेकिन इजरायल ने पीछे हटने के बजाय अपना सैन्य अभियान और तेज कर दिया। इसके अतिरिक्त अमेरिका अब ईरान के साथ युद्ध के बजाय वार्ता से समाधान चाहता है, जबकि इजरायल को यह मंजूर नहीं है, क्योंकि वह ईरान की बढ़ती शक्ति को अपने लिए स्थायी खतरा मानता है। इस बिंदु पर भी दोनों देशों के हित टकरा रहे हैं। दुर्भाग्य से राष्ट्रपति ट्रंप अब तक इजरायल की दोस्ती के कारण अमेरिकी हितों को नजरअंदाज करते आए हैं। हालांकि, अगर अमेरिका ईरान के साथ कोई समझौता कर लेता है तो इससे अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ बढ़ रहा विरोध कम हो सकता है, क्योंकि अमेरिकी जनता ईरान के साथ किसी भी नए युद्ध के खिलाफ है।

गाजा का 70 फीसदी इलाका इजरायली कब्जे में

उर्दू टाइम्स (30 मई) के अनुसार इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा की है कि उन्होंने इजरायली सेना को गाजा के और अधिक क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए आवश्यक सैन्य कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान में गाजा का लगभग 70 प्रतिशत क्षेत्र इजरायली सेना के निंत्रयण में है और अब इस पर कब्जे का दायरा बढ़ाया जाएगा। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने गाजा क्षेत्र पर इजरायल के इस कब्जे की निंदा की है। जर्मनी के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि गाजा में मानवीय स्थिति पहले से ही अत्यंत तनावपूर्ण है। ऐसी स्थिति में अगर इजरायल सैन्य शक्ति के बल पर और अधिक क्षेत्रों पर कब्जा करता है तो इससे तनाव में और भी वृद्धि होगी।

गौरतलब है कि जर्मनी को आमतौर पर इजरायल का एक प्रमुख और विश्वसनीय सहयोगी माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद जर्मनी ने इजरायल को ऐसे सैन्य उपकरणों और हथियारों की आपूर्ति करने पर रोक लगा दी थी, जिनका उपयोग इस युद्ध में किया जा सकता था।

एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इजरायली योजना पर चिंता प्रकट करते हुए कहा है कि गाजा में युद्ध के कारण लाखों नागरिक बेघर हो चुके हैं और आर्थिक ढांचा पूरी तरह से तबाह हो चुका है। ऐसी स्थिति में इस युद्ध को और बढ़ावा देना विश्व शांति के हित में नहीं है।

इंकलाब (31 मई) के अनुसार इजरायल द्वारा गाजा के और अधिक क्षेत्रों पर नियंत्रण करने के दावों से ऐसा प्रतीत होता है कि वह पूरी गाजा पट्टी पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प की प्रस्तावित 20 सूत्री शांति योजना के तहत इजरायल सरकार को गाजा के 58 प्रतिशत क्षेत्र से अपनी सेना को वापस बुलाना था, लेकिन इजरायल ने इस समझौते का पालन नहीं किया। इसके विपरीत उसने 11 प्रतिशत और अधिक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। इजरायल ने गाजा के अधिकृत क्षेत्रों में अनेक सैन्य चौकियां भी स्थापित कर ली हैं।

इंकलाब (24 मई) के अनुसार अल जजीरा ने दावा किया है कि अक्टूबर 2023 से गाजा युद्ध के दौरान सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि 51 अन्य देशों ने भी इजरायल को हथियार, सैन्य उपकरण समेत अन्य सामग्री की आपूर्ति की है। हालांकि, दुनियाभर में इजरायल से व्यापार तोड़ने की अपील की जा रही थी, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरों, शिपिंग डेटा और निर्यात के सरकारी रिकॉर्ड से पुष्टि हुई है कि 51 देश इजरायल को हथियार और स्पेयर पार्टस भेज रहे थे। इसमें सबसे ज्यादा मदद अमेरिका ने की, जिसने इजरायल के कुल विदेशी सामान का 42

प्रतिशत हिस्सा सप्लाई किया। भारत इस मामले में दूसरे स्थान पर है, जिसने इजरायल को 26 प्रतिशत सैन्य सामग्री भेजी। इनमें गोला बारूद, ड्रोन्स और अन्य सैन्य सामग्री शामिल हैं। अन्य बड़े देशों में रोमानिया ने 8 प्रतिशत, ताइवान ने चार प्रतिशत और चेक गणराज्य ने तीन प्रतिशत सामग्री सप्लाई की।

रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि यूरोपीय देशों ने इजरायल को 19 और पूर्वी व दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों ने आठ प्रतिशत सामग्री सप्लाई की, जिनमें चीन, दक्षिण कोरिया, वियतनाम और सिंगापुर शामिल हैं। खास बात यह है कि इनमें से कुछ देशों ने संयुक्त राष्ट्र में इजरायल को सैन्य सामग्री न भेजने के प्रस्ताव का समर्थन किया था। इसके बावजूद भी वे गुप्त रूप से इजरायल को सैन्य सामग्री भेजते रहे। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि तुर्किये ने भी इजरायल को एक मिलियन डॉलर की सामग्री सप्लाई की। बाद में तुर्किये सरकार ने दावा किया कि उसने इजरायल से सारे व्यापारिक संबंध तोड़ लिए हैं, लेकिन फिर भी वह छिपकर इजरायल को सैन्य सामग्री भेजता रहा।

यूएई द्वारा पाकिस्तानी शियाओं का निष्कासन

एतेमाद (23 मई) के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और पाकिस्तान के बीच के संबंध दिन-प्रतिदिन तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। ताजा समाचारों के अनुसार दुबई और अबू धाबी से 10 हजार से अधिक पाकिस्तानी नागरिकों को निष्कासित किया गया है, जिनमें अधिकतर शिया समुदाय से संबंधित हैं। पाकिस्तानी प्रवासियों का आरोप है कि यूएई के अधिकारियों ने उन्हें वापस भेजने से पहले उनका सारा सामान और जमा पूंजी भी छीन ली। यूएई सरकार द्वारा की गई इस कार्रवाई से पाकिस्तान में काफी हंगामा मच गया है। पाकिस्तानी संसद में विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा और कड़ा विरोध दर्ज कराया। इसके बाद शहबाज शरीफ सरकार ने आधिकारिक घोषणा की है कि विदेश मंत्रालय की एक विशेष समिति द्वारा इस मामले की विस्तृत जांच करवाई जाएगी।

हमारा समाज (26 मई) के अनुसार यूएई और पाकिस्तान के बीच हाल ही में जो तनाव पैदा हुआ है, उसका मुख्य कारण यह है कि यूएई को यह संदेह है कि पाकिस्तान ने ईरानी वायुसेना को अमेरिकी व यूएई ठिकानों पर हमला करने के लिए अपने सैन्य अड्डों का उपयोग करने की अनुमति दी है। हालांकि, पाकिस्तान सरकार ने आधिकारिक तौर पर इन आरोपों का कड़े शब्दों में खंडन किया है। इसके विपरीत यूएई सरकार ने यह संकेत दिया है कि इन गंभीर आरोपों की उनके खुफिया विभाग द्वारा गहन जांच कर पुष्टि की जा चुकी है।

एक अन्य समाचार के अनुसार ब्रिटिश न्यूज एजेंसी 'रॉयटर्स' ने यूएई से निष्कासित किए गए पाकिस्तान के झेलम और चकवाल जिलों के

प्रवासियों के इंटरव्यू लिए हैं। इन प्रवासियों ने आरोप लगाया है कि यूएई की खुफिया एजेंसियां काफी समय से उनकी गतिविधियों की निगरानी कर रही थीं। यूएई सरकार को यह संदेह है कि देश में रहने वाले शिया मुसलमान ईरान के लिए जासूसी करते हैं और उन्हीं से मिली जानकारी के आधार पर ईरान ने यूएई में कई स्थानों पर रॉकेटों व मिसाइलों से हमले किए हैं, जिससे यूएई को भारी नुकसान पहुंचा है।

पाकिस्तानी शिया संगठन मजलिस वहदत-ए-मुस्लिमीन ने एक संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया है कि हालिया युद्ध के बाद खाड़ी देशों से 10 हजार से अधिक पाकिस्तानी शियाओं को निष्कासित किया गया है। ये लोग इन देशों में पिछले तीन चार दशकों से रह रहे थे। इस संगठन के प्रवक्ता ने दावा किया कि कम से कम चार खाड़ी देशों ने इन शिया मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने से पहले उनके सारे सामान और संपत्ति पर कब्जा कर लिया और उनके बैंक खाते फ्रीज कर दिए। इसके साथ ही उन्होंने इन नागरिकों के पासपोर्ट और वीजा दस्तावेज भी छीन लिए।

एतेमाद (23 मई) के अनुसार पाकिस्तान सरकार ने संसद में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह स्वीकार किया है कि पिछले पांच सालों में साढ़े चार लाख से अधिक पाकिस्तानी मूल के नागरिकों को खाड़ी देशों से निष्कासित किया गया है। सबसे ज्यादा पाकिस्तानी सऊदी अरब से निष्कासित किए गए हैं, जिनकी संख्या सवा दो लाख है। इन नागरिकों पर अवैध रूप से सऊदी अरब में घुसपैठ करने, वीजा नियमों का उल्लंघन करने और संगठित रूप से भीख मांगने के गंभीर आरोप हैं। सरकार ने यह भी पुष्टि की है कि इस अवधि में सऊदी अरब में 370 पाकिस्तानी नागरिकों को फांसी की सजा दी गई है। इन लोगों पर मादक पदार्थों की तस्करी करने और सरकार विरोधी गतिविधियों में भाग लेने का आरोप था। पाकिस्तानी नागरिकों के निष्कासन के मामले में दूसरे स्थान पर यूएई है, जिनकी संख्या डेढ़ लाख है।

मक्का से हाजियों की वापसी का सिलसिला शुरू

इंकलाब (25 मई) के अनुसार इस बार 17 लाख विदेशी तथा स्थानीय हाजियों ने सऊदी अरब में हज में हिस्सा लिया। इस बार भी भीषण गर्मी थी और मक्का में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक दर्ज किया गया। सऊदी सरकार ने हाजियों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए बड़े पैमाने पर जगह-जगह वातानुकूलित शेड और पानी की व्यवस्था की थी। सभी हाजियों के लिए छतरी का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया गया था। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इस भीषण गर्मी के कारण लगभग 600 हाजियों ने दम तोड़ दिया, जिनमें 100 भारतीय हाजी भी शामिल हैं। मीना और अराफात के मैदान में 10 लाख से अधिक हाजियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित टेंटों की व्यवस्था

की गई थी। हाजियों की देखभाल और सुरक्षा के लिए 40 हजार सैनिकों और सुरक्षाकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी। इसके अतिरिक्त पांच हजार से अधिक चिकित्सा केंद्र स्थापित किए गए थे, जिनमें 10 हजार डॉक्टरों और अन्य मेडिकल कर्मचारियों की तैनाती की गई थी।

सियासत (26 मई) के अनुसार पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध और हवाई यात्रा बाधित होने के कारण सऊदी सरकार को यह आशंका थी कि दुनियाभर के देशों से शायद आशा के अनुरूप हाजी न आ पाएं, लेकिन उनका यह अंदेशा पूरी तरह निराधार साबित हुआ, क्योंकि इस साल का आंकड़ा पिछले साल के हाजियों से भी अधिक रहा। संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन, जॉर्डन आदि मुस्लिम देशों ने हाजियों को मक्का तक पहुंचाने के लिए विशेष विमानों की व्यवस्था की थी। सऊदी अरब के हज पासपोर्ट फोर्स के कमांडर सालेह अल-मुरब्बा ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि इस बार 17 लाख से अधिक हाजियों ने हज किया है, जबकि पिछले साल यह संख्या 16 लाख 73 हजार 230 थी।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (23 मई) के अनुसार इस बार हाजियों की सुरक्षा का प्रबंध सऊदी अरब के गृह मंत्री और सुप्रीम हज कमेटी के चेयरमैन शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद ने संभाल रखा था। हाजियों के आवागमन पर नजर रखने के लिए अत्याधुनिक डिजिटल व्यवस्था की गई थी और सभी हाजियों को डिजिटल स्मार्ट कार्ड उपलब्ध कराया गया था। हाजियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए 26 सुरक्षा विमान और 500 ड्रोन दिन-रात लगे हुए थे।

एक अन्य समाचार के अनुसार सऊदी अरब के शाही परिवार की ओर से 75 देशों के 1735 विशिष्ट मेहमानों को हज का आमंत्रण दिया गया था और उनके रहने इत्यादि की व्यवस्था शाही परिवार की ओर से की गई थी। इस बार हज में 165 देशों के मुसलमानों ने भाग लिया। ■

RNI No. DELHIN/2017/72722

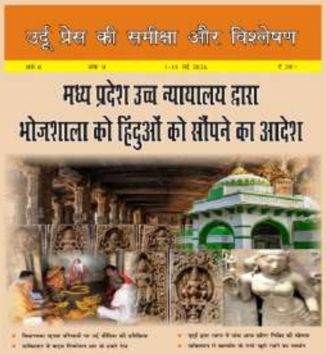

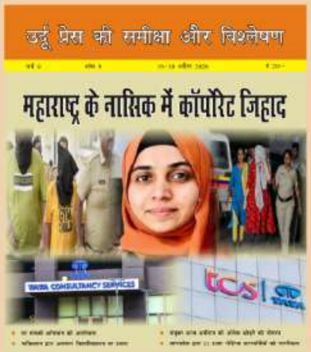

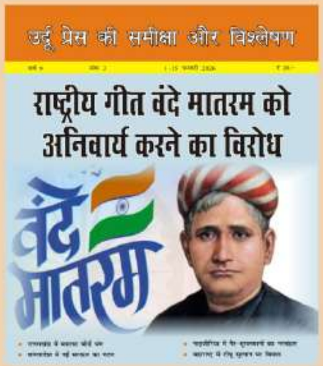

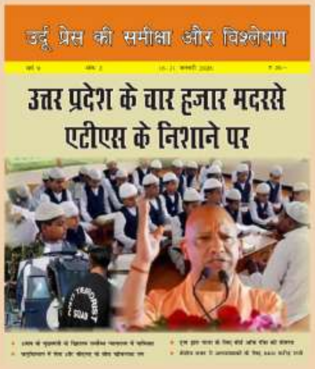

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation

डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-79687620
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in